अरूण कुमार,
आई0पी0एस0

संख्याः एडीजी परिपत्र–04/2013

अपर पुलिस महानिदेशक,
(अपराध एवं कानून व्यवस्था)
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग,
लखनऊ–226001

दिनांकः लखनऊः मार्च 16, 2013

प्रिय महोदय,

वर्तमान समय में शासन/प्रशासन के प्रति जनमत निर्माण में इलेक्ट्रानिक/प्रिन्ट संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है, किन्तु कई बार प्रमाणिक सूचनाओं/तथ्यों के अभाव में समाचार चैनलों तथा अखबारों में भ्रामक खबरें प्रदर्शित/प्रकाशित हो जाती है जिससे आम आदमी को वस्तु स्थिति का पता नहीं चल पाता । इसके साथ ही जनहित में किये जा रहे प्रशासनिक प्रयासों तथा कानून–व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों का प्रचार–प्रसार भी नहीं हो पाता। अतः यह आवश्यक है कि जनपद स्तर पर इलेक्ट्रानिक/प्रिन्ट मीडिया से त्वरित एवं प्रभावी संवाद बनाये रखा जाय।

इसी प्रकार सोशल मीडिया जैसे, फेस बुक एवं ट्यूटर से समाज में कमेन्टस, फोटोग्राफ्स एवं जनमत तैयार किये जाते हैं, जो कि विशेष रूप से युवा वर्ग द्वारा उपयोग किया जा रहा है । भारत की वर्तमान जनसंख्या का 40 प्रतिशत से ज्यादा युवा है, जो उक्त माध्यमों से अपने विचार, आकोश, चित्र, सोशल मीडिया पर पेस्ट कर समाज पर अपनी राय सृजित करता हैं। यह राय सदा सत्य नहीं होती हैं। अतः इस पर पुलिस का वर्जन अति आवश्यक हो जाता है, जिससे सत्यता उजागर हो सके ।

उक्त परिप्रेक्ष्य में दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित है :–

1. प्रदेश के प्रत्येक जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद कार्यालयों में पुलिस–मीडिया इण्टरफेस हेतु **"पी0आर0ओ0 सेल"** का गठन किया जाय।
2. सेल में तकनीकी जानकारी रखने वाले उ0नि0, मु0आरक्षी व आरक्षियों को नियुक्त किया जाय। जिसमें बड़े जनपदों में 02 उ0नि0 व8 मु0आ0/आरक्षी, छोटे जनपदों में 01 उ0नि0, 04 मु0आ0/आरक्षी होंगे ।
3. सेल में चयन हेतु अभ्यर्थियों की जन सम्पर्क क्षमता, कार्य में रूचि, अभिव्यक्ति एवं रचनात्मकता को वरीयता दी जाये ।
4. सेल में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी का दायित्व होगा कि वे प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं सोशल मीडिया :फेस बुक एवं ट्यूटर से सम्पर्क में रहेंगे और उन्हें सत्य सूचनायें समय से उपलब्ध करायेगें।
5. सेल के प्रभारी राजपत्रित अधिकारी (अपराध) होगे ।
6. **अधिकृत अधिकारी के अतिरिक्त कोई भी अधिकारी/कर्मचारी मीडिया में बयान नहीं देगा ।**
7. प्रिन्ट मीडिया के अन्तर्गत जनपद के अच्छे कार्यों एवं जघन्य अपराधों का विवरण तैयार कर मीडिया प्रभारी राजपत्रित अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, जो जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की तरफ से मीडिया को ब्रीफ करेगें ।

8. सेल से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्थानीय प्रिन्ट, इलेक्ट्रानिक मीडिया के सम्पादकों, संवाददाताओं के नाम, बेसिक व मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल एड्रेस संकलित करेगें तथा त्वरित समाचार सम्प्रेषण हेतु एस0एम0एस0/ई–मेल की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई जाएगी एवं उन्हें अद्यावधिक रखेगें।

9. सोशल मीडिया हेतु प्रत्येक जिले अपने–अपने फेस बुक तथा ट्यूटर एकाउंट खोल लें जो वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानान्तरण के बाद भी अबाधित रूप से चलती रहे । उपरोक्त व्यवस्था प्रथम चरण में जनपद–1–लखनऊ, 2–कानपुरनगर, 3–मेरठ, 4–गाजियाबाद, 5–गौतमबुद्धनगर, 6–आगरा, 7–मथुरा, 8–इलाहाबाद, 9–गोरखपुर, 10–वाराणसी, 11–फैजाबाद, 12–झाँसी, 13–बरेली, 14–मुरादाबाद, 15–बुलन्दशहर, 16–सहारनपुर, 17–मुजफ्फरनगर, 18–अलीगढ़, 19–एटा, 20–बदायूँ व 21–इटावा जिलों में प्रारम्भ की जा रही है। यदि शेष जनपद अपने स्तर से उपरोक्त व्यवस्था कर लें, तो उपयुक्त होगा ।

उक्त सेल हेतु चयनित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची जन सम्पर्क शाखा, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में **दिनांक 30–03–2013** तक अवश्य उपलब्ध करा दें तथा चयनित अधिकारियों/कर्मचारियों की जोनल स्तर पर **01 अप्रैल, 2013** से मीडिया विशेषज्ञों के साथ कार्यशाला आयोजित की जायेगी जिसमें उन्हें प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ सम्पर्क करते समय क्या करें, क्या न करें, केस स्टडी पर प्रशिक्षण दिया जाना है ।

भवदीय,

(अरूण कुमार) 16/3/13

समस्त पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

2–समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 ।
3–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपहानिरीक्षक, उ0प्र0।